Mechanical Supervisor

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰ (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 28] नई दिल्ली, जुलाई 26—अगस्त 1, 2009, शनिवार/श्रावण 4—श्रावण 10, 1931

No. 28] NEW DELHI, JULY 26—AUGUST 1, 2009, SATURDAY/SRAVANA 4—SRAVANA 10, 1931

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

GeneralI Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2009

सा.का.नि. 108.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय मत्स्य, प्रचालन संस्थान (वर्ग III और वर्ग IV पद) भर्ती नियम, 1968 जहां तक उनका संबंध यांत्रिकी पर्यवेक्षक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग में केन्द्रीय मत्स्य नौचालन और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन में यांत्रिकी पर्यवेक्षक, के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मत्स्य, नौचालन और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन, यांत्रिकी पर्यवेक्षक समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. यांत्रिकी पर्यवेक्षक	02*(2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + रु. 2800 श्रेणी वेतन	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
प्रोन्नति	ऐसे फिटर या वेल्डर या टूल सहायक या टर्नर या लुहार जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + 1900 रु. श्रेणी के वेतन में 13 वर्ष नियमित सेवा की है । (ऐसे ज्येष्ठ फिटर और ज्येष्ठ वेल्डर के पदों के पदधारियों की ज्येष्ठता जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + 2000 रु. की श्रेणी वेतन में नियमित आधार पर पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख के सन्दर्भ में तैयार की जाएगी) ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— (1) निदेशक, केन्द्रीय मत्स्य, नौचालन और इंजिनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान —अध्यक्ष (2) उप निदेशक केन्द्रीय मत्स्य, नौचालन और इंजिनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान इकाई, चैन्नई —सदस्य (3) उप निदेशक केन्द्रीय मत्स्य, नौचालन और इंजिनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान इकाई, विशाखापटनम —सदस्य (4) ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय मत्स्य, नौचालन और इंजिनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान —सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. स. 3-5/2009-एफवाई. प्रशा.]

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

New Delhi, the 30th July, 2009

G.S.R. 108.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Institute of Fisheries Operatives (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1968 in so far as they relate to the post of Mechanical Supervisor, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Machanical Supervisor in the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, in the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin, Mechanical Supervisor, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mechanical Supervisor	2* (2009) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	PB-1, Rs. 5200-20200+ Grade Pay of Rs. 2800	Selection	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruitment.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer is to be made
(11)	(12)
Promotion	Fitter or Welder or Tool Room Assistant or Turner or Blacksmith in PB-I, Rs.5000-20200+ Grade Pay of Rs. 1900 with thirteen years of regular service. (The seniority of the incumbents of the posts of Senior Fitter and Senior Welder in PB-I, Rs. 5200-20200+Grade Pay of Rs. 2000 shall be prepared with reference to their date of joining the post on regular basis.)

If a Depatmental Promotion Committee exists what is the composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. Director, Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training. — Chairman 2. Deputy Director, Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training Unit, Chennai. — Member 3. Deputy Director, Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training Unit, Visakhapatnam. — Member 4. Senior Administrative Officer, Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training. — Member	Not applicable.

[F. No. 3-5/2009-Fy. Admn.]

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.